अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 03/2021(GCMS No. 2021/122) अनवान् तनवीर सिंह पुत्र विचित्र सिंह जाति जटसिख उम्र 25 वर्ष निवासी चक 56 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम 1.स्वर्ण कौर पत्नी शर्म सिंह उम्र करीब 90 वर्ष 2. गुरदेव सिंह पुत्र शर्मसिंह उम्र करीब 50 वर्ष 3. वचित्रसिंह पुत्र शर्म सिंह उम्र 55 वर्ष जाति जटसिख निवासी चक 56 जीबी तहसील अनूगपढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.02.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट उपस्थित नहीं है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय में स्वर्ण कौर पत्नी शर्म सिंह एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.03.2019 को अपने पुत्र गुरदेव सिंह व वचित्र सिंह एवं पोत्र तनवीर सिंह के विरूद्ध द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 व 23 के अन्तर्गत पेश किया था जिसमें उसने अपनी प्रत्येक संतान से 10,000/– रूपये के हिसाब से कुल 30,000/– प्रति माह भरण पोषण दिलवाने एवं अप्रार्थी संख्या 1 गुरदेव सिंह व 3 वचित्र सिंह के पक्ष में दिनांक 24.03.2015 को पंजीकृत करवाये गये दान पत्र एवं अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 तनवीर सिंह के पक्ष में दिनांक 25.03.2015 को पंजीकृत करवाये गये दान पत्र को निरस्त करवाने की प्रार्थना की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में वर्तमान अपीलार्थी तनवीर सिंह जो कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में था, को सम्मन की तामील के बावजूद भी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने उसके विरूद्ध दिनांक 16.12.2019 एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया था। जिसमें दिनांक 14.07.2021 को तनवीर सिंह–पोत्र द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही समाप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अपने आदेश दिनांक 14.07.2021 के द्वारा अस्वीकार कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपीलार्थी तनवीर सिंह द्वारा यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत यह अपील उक्त आदेश को निरस्त करवाने के लिए एवं अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई के लिए अवसर दिये जाने की प्रार्थना की है।

यह अपील प्रार्थी तनवीर सिंह ने पोत्र की हैसियत से अपनी दादी स्वर्ण कौर पत्नी शर्मसिंह, चाचा गुरदेव सिंह एवं अपने पिता वचित्र सिंह के विरूद्ध पेश की है। माता पिता एवं भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत पुत्र/पोते को अपील पेश करने का कोई **अधिकारिता है अथवा नहीं?** धारा 16(1) निम्न प्रकार से है:

> **धारा 16.अपील–(**1) अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता, आदेश की तिथि से साठ दिवसों के अंदर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा,
>
> **परन्तु** अपील पर, सन्तान या सम्बन्धी, जिससे ऐसे भरण–पोषण के आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता–पिता को अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित ढंग में इस प्रकार आदेशित धनराशि का लगातार भुगतान करता रहेगा:
>
> प**रन्तु** यह और कि अपील अधिकरण साठ दिनो की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसे समाधान है कि अपीलार्थी समय सीमा के अन्तर्गत अपील दाखिल करने हेतु पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:20 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक अपीलार्थी द्वारा सं[illegible] से अपील पेश करने का सम्बन्ध है। उक्त धारा 16(1) के अनुसार अधिकरण के आदेश से व्यथित केवल वरिष्ठ नागरिक व माता–पिता के द्वारा ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही दिया गया है ।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

एडमिशन की स्टेज पर ग्रहण योग्य न होने के कारण, यहां से खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भिजवाई जावे। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भी भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:20 IST
Reason: SelfAttested